(c) As on 1-1-1979 the number of hospital beds was 0.71 per thousand population.

Rail Lines in Punjab since 1947

1206. SHRI L. S. TUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total mileage of new railway lines laid in the country since 1947; and

(b) the share of Punjab in this mileage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) 7,992.395 Kms. upto end of March, 1979.

(b) 135.75 Kms.

बिहार में दानापुर–नौबतपुर सड़क

1207. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जिला (बिहार) में दानापुर–नौबतपुर सड़क बहुत ही टूटी फटी हालत में है,

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से इस सड़क की मरम्मत कभी नहीं की गयीं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और

(घ) सरकार ने इस सड़क के पुनः निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) से (घ). संविधान के अनुसार, केन्द्रीय सरकार उन्हीं सड़कों के लिए जिम्मेदार है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई है । राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर अन्य सभी सड़कों की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है । विचाराधीन सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, और यह जिला बोर्ड की सड़क है। राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1979 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस सड़क के खगौल-नौबतपुर खंड में सुधार-कार्य करने के लिए 55 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी थी । इस सड़क में विचाराधीन सड़क का लगभग आधा हिस्सा आ जाता है । सड़क के शेष भाग में मरम्मत इत्यादि करने के लिए अभी इसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

बीड़ी श्रमिकों को बोनस

1208 श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की भांति बीड़ी श्रमिकों को बोनस देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) से (ग). बोनस संदाय अधिनियम, 1965 ऐसे प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जिसमें किसी लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है । "संबंधित सरकार" को अधिकार है कि वह राजपत्र में दो मास का नोटिस देकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम को लागू कर सकती है जिनमें 20 से कम परन्तु 10 से अनधिक व्यक्ति नियोजित हों । ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने किसी प्रतिष्ठान में वर्ष में कम से कम तीस कार्य दिन काम किया है, अधिनियम के अधीन ग्राह्य बोनस का हकदार है । प्रतिष्ठानों में नियोजित ऐसे बीड़ी कर्मकार, जो उक्त मानदंडों को पूरा करते है, अधिनियम के अधीन बोनस के हकदार है ।

अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जो बीड़ी कारखानों/प्रतिष्ठानों के संबंध में "संबंधित सरकार" है ।

Leprosy Beggars and Leprosy Patients in Gujarat

1209. SHRI D. P. JADEJA: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) the number of leprosy beggars and other leprosy patients in Gujarat state;

(b) the details of the Centres where leprosy treatments are available in Gujarat State;